



बिहार सरकार

समाहरणालय, अरवल



ई-मेल—dm-arwal.bih@nic.in

वेबसाइट - arwal.bih.nic.in

दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक-

दिनांक -

आदेश

कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा **The Epidemic Diseases Act, 1897** की धारा-2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **Lockdown** करने का आदेश दिया गया है। अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 317 दिनांक 18.05.2020 के द्वारा लॉकडाउन की अवधि में सभी प्रखंड मुख्यालय को रेड जोन में चिन्हित एवं घोषित किया गया है। सभी कंटेन्मेंट जोन एवं सभी प्रखंड मुख्यालय (रेड जोन) को छोड़कर शेष सभी क्षेत्र एकसामान समझे जाएंगे।

कंटेन्मेंट जोन एवं रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएँ (कपड़ा की दुकान तथा रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित) के दुकानों को भीड़ कम करने के दृष्टिकोण से नियंत्रित ढंग से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने के संबंध में जिला पदाधिकारी को निर्णय लने का निदेश दिया गया है।

वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त गृह विभाग, बिहार, पटना के उपरोक्त आदेश के आलोक में कंटेन्मेंट जोन एवं रेड जोन से बाहर खुलने वाली सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं (कपड़ा की दुकान तथा रेडिमेड वस्त्र दुकान सहित) नई दुकानों को प्रत्येक सप्ताह में मात्र सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को 08.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वा० तक एवं 02.00 बजे अप० से 06.00 बजे अप० तक तक निम्नलिखित शर्तों के साथ खोलने का आदेश दिया जाता है :-

- सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से ही खरीददारी करेंगे।
- दुकानों में दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- दुकानों के काउन्टर पर दुकानदार, साबुन/सेनेटाईजर भी अपने ग्राहकों के उपयोग हेतु निःशुल्क उपलब्ध रखेंगे।
- बिक्री काउन्टर पर सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (दो गज की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा, इसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किये जायेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जायेगी।
- सर्दी/खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउन्टर के पास आने की अनुमति नहीं होगी।
- दुकान को मात्र 33 प्रतिशत कर्मियों का ही रोस्टर बनाकर कार्य पर बुलाने की अनुमति होगी।

अरवल।
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

- प्रतिनिधि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकाारी एवं थाना/ओपीओ अध्यक्ष, अरवल जिला
- प्रतिनिधि : प्रमारी पदाधिकारी, जिला नियोजन कक्ष, अरवल/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अरवल को सूचना एवं प्रसारण एवं आवास एवं आवाश्यक कार्याई हेतु प्रेषित।
- प्रतिनिधि : अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल एवं अर्जुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अरवल को सूचना एवं आवास एवं आवाश्यक कार्याई हेतु प्रेषित।
- प्रतिनिधि : अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचना एवं आवास एवं आवाश्यक कार्याई हेतु प्रेषित।
- प्रतिनिधि : पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचना एवं आवास एवं आवाश्यक कार्याई हेतु प्रेषित।

आपाक 696/2020 अरवल दिनांक 19/05/2020

ह/0/-
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

एपिडेमिक हिजाज एक्ट 1897 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्नी कार्याई की जायेगी।
उल्लेखन की स्थिति में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं द अरवल को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का बत-प्रतिबत अनुपालन सुनिश्चित करायें।
उपरोक्त के आलाक में अर्जुमण्डल पदाधिकारी, अरवल एवं अर्जुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जायें।

- 5. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स एवं बड़े बाजारों के लिए अलग से आदेश निर्गत किये जायें।
- 4. ई-कॉमर्स/होम डिलेवरी से संबंधित सभी सेवाएँ सप्ताह के सभी दिनों में कार्यरत रहेंगी।

दिनों के संदर्भ में निर्णय लिया जायेगा।
3. भविष्य में दुकानों पर भीड़ की स्थिति को देखते हुए दुकानों को खोलने के निर्धारित समय एवं एवं 02.00 बजे अपु से 08.00 बजे तक खोली जा सकेंगी।

निर्गत आदेश के आलाक में पूर्व से खोली जा रही दुकानें भी 08.00 बजे पूर्वान्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न तक 2. इस आदेश के पूर्व इस कार्यालय के द्वारा विभिन्न श्रेणियों की दुकानों को खोलने के संबंध में

- (रेड जोन) में केवल अत्यावश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों ही खुलेंगी।
- 1. सभी प्रखंड मुख्यालय को रेड जोन घोषित किया गया है। अतएव यह आदेश प्रखण्ड मुख्यालयों (अरवल, कलर, कृष्णा एवं सोनमद-बर्ही-सूर्यपुर मुख्यालय) में लागू नहीं होगा। प्रखण्ड मुख्यालय